केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18,संस्थागत क्षेत्र,शहीद जीतसिंह मार्ग
18, Institutional Area ,Saheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न./Phone no.26858570, फैक्स/ FAX 26514179
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.com

एफ० 11025-8(1)13/केविसं(मु०)/हिं — दिनांक:- सितंबर, 2015

उपायुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

विषय:- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में आयोजित करने के संबंध में

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान इस कार्यालय के दिनांक 2 मई, 2013 और उसके पश्चात 20 जून, 2014 के समसंख्यक पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) में दिए गए निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है जिनमें कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है और सभी कार्यालय प्रमुखों से यह अपेक्षा की गई है कि वे इस पत्र में दिये गए दिशा - निर्देशों के अनुसार अपने कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित करें।

2. क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केंद्रीय विद्यालयों से समय - समय पर प्राप्त इन बैठकों के कार्यवृत्तों/प्रत्यक्ष अवलोकन के पश्चात यह बात सामने आई कि कुछ कार्यालयों अथवा विद्यालयों द्वारा अपने कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें तो नियमित रूप से आयोजित की जा रहीं हैं और इन बैठकों में राजभाषा के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए चर्चा व परिचर्चा के बावजूद राजभाषा कार्यान्वयन के कार्यों में प्रगति न के बराबर देखी गई या हिन्दी के कार्यों में अवनति अर्थात कमी दर्ज की गई है। इस प्रकार एक तरफ जहाँ नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें हो रहीं हैं और राजभाषा संबंधी अन्य गतिविधियाँ तथा हिन्दी कार्यक्रम व कार्यशालाओं के उपरांत भी हिन्दी के कार्यों में कमी पाई गई है । इस प्रकार यह बहुत अजीब और विरोधाभासी स्थिति है।

3. अत: पुन: सभी कार्यालयों के प्रमुखों/उपायुक्तों को निदेशित किया जाता है कि अपने कार्यालयों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का सख़्ती से पालन करते हुए हिन्दी के कार्यों में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज़ करें अर्थात किसी भी परिस्थिति में राजभाषा के काम में कमी अथवा गिरावट न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संबंध में जारी दिशा - निर्देशों पर ध्यान देते हुए कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि भविष्य में राजभाषा विभाग या मानव संसाधन विकास मंत्रालय या संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण होने पर कार्यालय को किसी समस्या अथवा प्रतिकूल टिप्पणी का सामना न करना पड़े।

4. अपने अधीनस्थ समस्त केंद्रीय विद्यालयों में इन आदेशों की अनुपालना भी कड़ाई से सुनिश्चित करें। इस संबंध में भविष्य में किसी भी लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से देखा जाएगा।

संलग्नक :-यथोपरि।

भवदीय

(जी० के० श्रीवास्तव)
अपर आयुक्त (प्रशा०)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सभी आंचलिक संस्थानों (ग्वालियर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई तथा मैसूर) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. प्राचार्य, विदेश स्थित केंद्रीय विद्यालय मॉस्को, तेहरान एवं काठमांडू।
3. गार्ड फाइल।

23/9/15
सहायक निदेशक (राजभाषा)

केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
दूरभाष/Tel.: 26858570 फैक्स/Fax 26514179
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.com

1963 50 2013
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

एफ.11025/08(1)/13-केविसं(मुख्या)/हि./10323-355

दिनांक: 2 मई, 2013

उपायुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन,
सभी क्षेत्रीय कार्यालय।

विषयः राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन एवं बैठकों का आयोजन।

महोदय/महोदया,

सरकारी कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने हेतु समय-समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों को कारगर ढंग से क्रियांवित करने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छोटे-बड़े कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में आयोज़ित की जानी आवश्यक है तदनुसार संगठन के सभी कार्यालयों अर्थात केविसं(मुख्या), क्षेत्रीय कार्यालयों, ज़ेडआईईटी एवं केंद्रीय विद्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन कर इसकी बैठक नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में आयोजित किए जाने के निर्देश भी समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

2. इस संबंध में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी कुछ मामलों में यह देखने में आया है कि इन बैठकों के आयोजन को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया जा रहा है और बैठक के आयोजन की औपचारिकता मात्र पूरी की जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप कार्यालयों में हिंदी के काम-काज की प्रगति की ठीक प्रकार से समीक्षा नहीं हो पाती है और पर्यास समय के बावजूद हिंदी के काम-काज में जिस प्रकार की उन्नति/प्रगति होनी चाहिए थी वह उन्नति देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे आयोजन से ये उद्देश्य पूरे नहीं होते जिन उद्धेश्यों के लिए इन समितियों का गठन किया गया । अतः यह आवश्यक है कि इन बैठकों को अधिक प्रभावी और परिणामपरक बनाया जाए। इस विषय में सुविधा हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है:-

(i). क्षेत्रीय कार्यालयों में इन समितियों के अध्यक्ष, संबंधित क्षेत्रीय उपायुक्त और समिति के सदस्य के रूप में सभी सहायक आयुक्त, प्रशासनिक अधिकारी, वित अधिकारी, अनुभाग अधिकारी एवं हिंदी अनुवादक रखे जाएं । इसके अतिरिक्त हिंदीत्तर भाषा-भाषी कार्मिकों को भी समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाए।

(ii). राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन कार्यालय प्रधान की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही में किया जाना अनिवार्य है।

(iii). राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के सदस्यों की सूची विधिवत रूप से अधिसूचित की जानी चाहिए अर्थात उपायुक्त/प्राचार्य-अध्यक्ष तथा फिर अन्य सभी सदस्य और अंत में सदस्य सचिव का उल्लेख हो।

(iv) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करना और पर्यास समय पूर्व कार्यसूची सहित बैठक की जानकारी सभी सदस्यों को देना ताकि सदस्यगण अपेक्षित सभी सूचनाओं एवं तैयारी के साथ नियत तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित हो सकें।

..2

(v). बैठक में पिछली तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट के सभी मदों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाए तथा उनकी समीक्षा की जाए।

(vi). राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रसंगाधीन वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा तथा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले उपायों पर विचार किया जाए।

(vii). राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी दस्तावेज*(***इनमें सामान्य आदेश,ज्ञापन,संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेण्डर नोटिस, संसदीय प्रश्न** आदि शामिल हैं) द्विभाषी रूप में जारी हो, यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की जाए।

(viii). राजभाषा नियम 5 (हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में दिया जाए) एवं नियम 11 (कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली समस्त स्टेशनरी, पत्रशीर्ष, रबर की मोहरें, नामपट्ट, सूचनापट्ट, साइनबोर्ड आदि द्विभाषी) का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु चर्चा की जाए।

(ix). राजभाषा नियम 8(4) (जिन कार्मिकों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है उनको इस नियम के तहत अपना कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट करना) और नियम 10(4) (केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में 80% या अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित करना) पर नियमित चर्चा की जाए।

(x). प्रशिक्षण- हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण आदि के बारे में चर्चा की जाए।

(xi). हिंदी के प्रयोग से संबंधित अनुदेशों के कार्यान्वयन में जो कठिनाइयां हों, उन्हें दूर करने के संबंध में विस्तृत चर्चा करना।

(xii). संसदीय राजभाषा समिति के सभी खंडों पर राष्ट्रपतिजी द्वारा जारी आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनुश्चित करना एवं संसदीय राजभाषा समिति द्वारा कार्यालय के निरीक्षण (यदि किए गए हों) के दौरान दिए गए आश्वासनों पर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई करना।

(xiii) अगली तिमाही के लिए न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।

(xiv) सभी बैठकों की कार्यसूची /कार्यवृत्त समय पर जारी करने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र (अगली बैठक से पर्याप्त समय से पूर्व) करने पर विचार ।

(xv) राजभाषा कार्यावयन के लिए निर्धारित सभी जांच-बिंदुओं का निर्धारण कर उनका प्रभावी अनुपालन करना।

(xvi) सभी सदस्यों की बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के मामले को गंभीरता से लिया जाए और ऐसे सदस्यों के अपरिहार्य/विशेष कारणों का उल्लेख कार्यवृत्त में अवश्य किया जाए।

(xvii) कार्यवृत्त में उन अधिकारियों/अनुभागों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए जिनके द्वारा अमुक मद पर कार्रवाई की जानी है।

कृपया सभी उपायुक्त उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधीनस्थ सभी केंद्रीय विद्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी कार्रवाई एवं अनुपालन सुनिश्चित करें और अपने क्षेत्रीय कार्यालय एवं अधीनस्थ केंद्रीय विद्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

भवदीय,

दिनेश कुमार

(डॉ.दिनेश कुमार)

अपर आयुक्त(शैक्षिक/प्रशा.)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, सभी जेडआईईटी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. प्राचार्य, विदेश स्थित केंद्रीय विद्यालय मास्को, तेहरान एवं काठमांडू।
3. गार्ड फाइल।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.com

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा.सं.11025/8(1)/2013/केविसं/हिं /604-633 दिनांकः २० जून, 2014

उपायुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन,
सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं
निदेशक,
सभी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान ।

विषयः- राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन एवं बैठकों का आयोजन।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 02 मई, 2013 के समसंख्यक पत्र(प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन और उनकी बैठकों से संबंधित दिशा-निर्देश विस्तारपूर्वक जारी किए गए थे और अनुरोध किया गया था कि पत्र में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधीनस्थ सभी केंद्रीय विद्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करें। लेकिन यह देखने में आया है कि स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है एवं उनकी कार्यसूची तथा कार्यवृत भी विधिवत रूप से अपेक्षानुसार तैयार नहीं किए जा रहे हैं।

अतः पुनः उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति इस आशय के साथ भेजी जा रही है कि अपने कार्यालय और अधीनस्थ केंद्रीय विद्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन इस पत्र में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार करते हुए इन बैठकों को प्रभावी एवं परिणामपरक बनाएं।

भवदीय,

संलग्नकः यथोपरि।

ई. प्रभाकर
(डॉ. ई. प्रभाकर)
संयुक्त आयुक्त(कार्मिक)